कार्यालय उज्जैन विकास प्राधिकरण उज्जैन

क्रमांक :- 03/18

दिनांक:- 25/1/2018

//निविदा विज्ञप्ति//

"श्री महाकाल वाणिज्यिक केन्द्र योजना के समीप स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रायवेट बस स्टेण्ड नानाखेडा बस स्टेण्ड परिसर योजना में भूखण्ड प्राप्ती हेतु सुनहरा अवसर"

प्राधिकरण की **श्री महाकाल वाणिज्यिक केन्द्र योजना के समीप स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रायवेट बस स्टेण्ड नानाखेडा बस स्टेण्ड परिसर योजना** में विकसित वाणिज्यिक भूखण्ड हेतु निविदा फार्म/विहत राशि रूपये 5000/-(पॉच हजार) का बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक/नगद राशि से दिनांक 7/2/18 से दिनांक 21/2/18 तक एच.डी.एफ.सी. बैंक उज्जैन में जमा करवाकर प्राप्त किये जा सकते है। जमा फार्म शुल्क वापसी योग्य नहीं होगा। निविदा फार्म दिनांक 23/2/18 को 4.00 बजे तक उज्जैन विकास प्राधिकरण कार्यालय में जमा किये जाना है । भूखण्ड प्रिमियम राशि तथा वार्षिक लीज आधार पर निवर्तन हेतु निविदाऐं उसी दिनांक को 4.30 बजे उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोली जावेगी। निर्धारित दिनांक को अवकाश होने की स्थिति में आगामी कार्य दिवस में कार्यवाही की जावेगी।

भूखण्ड हेतु न्यूनतम दर निम्नानुसार दर्शाई गई है। इस दर से उपर निविदा दर प्र.व.मी. प्रस्तुत करना होगी। भूखण्ड का विवरण निम्नानुसार है:-

अनु. क्र	भूखण्डों का विवरण	भूखण्डों का उपयोग	क्षेत्रफल व.मी. में	प्राधिकरण द्वारा निर्धारित न्यूनतम दर प्रति वर्ग मीटर	भूखण्ड का आरक्षित मूल्य	आरक्षित की श्रेणी यदि आरक्षित हो	पट्टे (लीज) पर या भूमि स्वामी अधिकारो पर व्ययन	पट्टे (लीज) के प्रकरण मे वार्षिक पट्टा भाडा	धरोहर राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	8/9 HIG	होटल, शोरूम	236.25 व.मी.	93,000/-	2,41,68,375/-	अनारक्षित	लीज पर	नियमानुसार प्रति वर्ष देय	10,00,000/-

1- भूखण्ड का क्षेत्रफल अनुमानित दर्शाया गया हैं। क्षेत्रफल में वृद्धि होने पर बढी हुई भूमि की स्वीकृत निविदा दर से प्रिमीयम राशि तथा अन्य राशियां मांग अनुसार जमा करवाना होगी।

2- किसी भी निविदा को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार प्राधिकरण को होगा।

3- निविदा स्वीकृति के पश्चात् भूखण्ड की शेष प्रिमियम राशि लीज राशि, भूमि परिवर्तन शुल्क नक्शा शुल्क की राशि प्राधिकरण की मांग सूचनानुसार 90 दिवस में जमा करवाना होगी। निहित अवधि मे प्रिमियम की शेष राशि जमा नही करवाने की अवस्था मे प्राधिकरण द्वारा हितग्राहियो से प्रचलित 15.50 प्रतिशत की दर से ब्याज राशि ली जावेगी, जिसकी समय सीमा अधिकतम 90 दिवस होगी, इसके पश्चात प्राधिकरण पंजीयन/निविदा निरस्त करने हेतु स्वतंत्र रहेगा।

4- विस्तृत जानकारी तथा अन्य शर्ते निविदा फार्म में उल्लेखित हैं जो बंधनकारक होकर पालनीय होगी।

5- निविदादाता से अपेक्षा की जाती हैं कि स्थल का भौतिक निरीक्षण कर ही निविदा प्रस्तुत करें। निविदा स्वीकृति पश्चात किसी भी आवेदन/अभ्यावेदन पर विचार नही किया जावेगा।

6- भूखण्ड का उपयोग केवल होटल शोरूम/वाणिज्यिक उपयोग हेतु ही किया जा सकेगा। भूखण्ड नियमानुसार लीज पर होगा। आवेदन हेतु वही सदस्य पात्र होंगे जिनके परिवार में पति/पत्नी एवं अवयस्क संतान के नाम पर उ.वि.प्रा. में पूर्व से कोई वाणिज्यिक सम्पत्ति का पंजीयन नही हो तथा आवंटित नही की गई हो।

7- उक्त विज्ञप्ति म0प्र0विकास प्राधिकरणों की सम्पत्तियों का प्रबंधन एवं व्ययन नियम 2013 के समस्त कण्डिकाओं एवं शर्तो के प्रावधानों अनुसार प्रकाशित की जा रही है। अतः उक्त सम्पत्ति के संबंध में व्ययन नियम 2013 प्रभावशील होकर लागू होकर बंधनकारक व पालनीय होंगे तथा समय समय पर शासन, प्राधिकरण द्वारा बनाये जाने वाले नियम भी बंधनकारक होकर पालनीय होंगे।

8- अन्य जानकारियों हेतु कृपया प्राधिकरण की वेबसाईट www.udaujjain.org देखें।

(जयदीप शर्मा)
सम्पदा अधिकारी
उज्जैन विकास प्राधिकरण, उज्जैन

"बेटी है तो कल है"